

**04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त**

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की बयासिर्वी (82वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 4 अप्रैल, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

**मद संख्या 82.1 औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)**

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुनः बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठे वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) कोडर गांव, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 फरवरी, 2018 के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेसंस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 फरवरी, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) एडुर, गुम्मिडिपूडि, तमिलनाडु में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 नवंबर, 2017 के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि तमिलनाडु सरकार तथा विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड सहित एक मेडिकल सिटी (मेडीविले प्रोजेक्ट) का संयुक्त रूप से विकासक करने के लिए करार किया है और यह कि तमिलनाडु सरकार सरकारी संस्थाओं के माध्यम से परियोजना को बढ़ावा दे रही है और बैंकों से विकासक द्वारा लिए गए ऋण को लौटाने के लिए बैंकों को ओटीसी के रूप में शुरू में 50 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर रही है। इस प्रयोजनार्थ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा 14 मार्च 2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड में लिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार की भागीदारी को नोट किया तथा विचार विमर्श के बाद 27 नवंबर 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की ताकि राज्य सरकार परियोजना को लागू कर सके।

**मद संख्या 82.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (एक प्रस्ताव)**

(i) ग्राम कसूडी, तालुक भोर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 फरवरी, 2018 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वर्ल्डवाइड ऑयलफील्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 19 फरवरी, 2018 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

**मद संख्या 82.3 तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (8 प्रस्ताव)**

(i) 25 फरवरी, 2018 के बाद 25 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, एफटीओ एसईजेड प्रोसेस यूनिट II जो डीआरएल एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 27 नवंबर 2013 के बाद 4 साल के लिए 31 दिसंबर 2018 तक मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एडूर गांव, गुम्मीडिपूडी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मेडीविले जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड में मैसर्स फ्रंटियर लाइफ लाइन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने साइट का निरीक्षण किया है और बताया है कि भवन का काम पूरा हो गया है, यूनिट का उपकरण स्थापित हो गया है तथा प्रचालन शुरू हो गया है और इसलिए विलंब को माफ करते हुए 31 दिसंबर 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 06 मार्च, 2018 के बाद 06 अप्रैल, 2019 तक एक साल के लिए मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए केआईएडीबी एयरोस्पेस एसईजेड में मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 अप्रैल, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) 05 जनवरी, 2018 के बाद 05 जनवरी, 2019 तक एक साल के लिए मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए केआईएडीबी एयरोस्पेस एसईजेड में मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 जनवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) तीसरे साल के बाद 16 अप्रैल, 2019 तक मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 अप्रैल, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 28 जून, 2018 के बाद 28 जून, 2019 तक एक साल के लिए मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए जायडस फार्मास्युटिकल एसईजेड, मटोडा, अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 जून, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) 24 अक्टूबर, 2017 के बाद एक साल के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड लिमिटेड जो शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट 3 है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) 21 अक्टूबर, 2017 के बाद 20 अक्टूबर, 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो प्लॉट नंबर 4, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया कि एमआईडीसी ने 6 माह के अंदर यूनिट के साथ बाउंड्री के मुद्दों का समाधान करने के लिए इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया है तथा चारदीवारी के लिए काम शुरू करने की अनुमति भी प्रदान की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 अक्टूबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

**मद संख्या 82.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध (6 प्रस्ताव)**

(i) एचनारी, कोयंबटूर में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स माजो इंस्टेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अपेक्षित विशिष्ट उच्च स्तरीय आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स माजो इंस्टेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स मिडास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, वीएसईजेड को सीबीडीटी द्वारा उठाए गए सरोकारों की जांच करने तथा संशोधित सिफारिश प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

(iii) भवन के आईटी / आईटीईएस अवसंरचना विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के अधिकृत प्रचालन के लिए स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स मारियाप्स मरीन सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में आईटी / आईटीईएस अवसंरचना विकास एवं उसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स मारियाप्स मरीन सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) एर्नाकुलम जिला, केरल में इंपोपार्क एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स डब्ल्यूटीसी ट्रेड्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने भवनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा एसईजेड के सह विकासक मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी भवन में प्रदान की जाने वाली अन्य अवसंरचना / सुविधाओं के लिए मैसर्स डब्ल्यूटीसी ट्रेड्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मैसर्स डब्ल्यूटीसी ट्रेड्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर द्वारा संचालित करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियां विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के इस शर्त के अधीन होंगी कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(v) कीरानाथम गांव, कोयम्बटूर (उत्तर), कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयम्बटूर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स अक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटी / आईटीईएस सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सुविधा के निर्माण के लिए मैसर्स अक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(vi) 5.2161 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवन तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स सिनर्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर पुनर्विचार

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स सिनर्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड सह विकासक की वित्तीय स्थिति पर स्टेटस नोट प्रस्तुत करेंगे और उसे अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में रखेंगे। इसके अलावा, मंजूरी एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के इस शर्त के अधीन होगी कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

**मद संख्या 82.5 : शेरर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (12 प्रस्ताव)**

(xi) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण तथा नाम परिवर्तित करके मैसर्स ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज इंडिया एलएलपी करने के लिए मैसर्स ईवाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो डीएलएफ एसईजेड, रामापुरम, चेन्नई की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग के अंतरण के लिए मैसर्स ज़ेंडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निवेशक) को मैसर्स नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) के 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण पूर्व अनुमोदन के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) निदेशकों और शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स सुंदरम एलॉय लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) प्रोपराटरी फर्म के साझेदारी फर्म में परिवर्तन के लिए मैसर्स शनलोक इंटरनेशनल जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) कंपनी के नियंत्रक शेयर में परिवर्तन के माध्यम से उद्यमी में परिवर्तन के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैसर्स इनफोचिप्स लिमिटेड (यूनिट ए) जो पुणे में मैसर्स मगरपट्टा सिटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vi) कंपनी के नियंत्रक शेयर में परिवर्तन के माध्यम से उद्यमी में परिवर्तन के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 100 प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैसर्स इनफोचिप्स लिमिटेड (यूनिट बी) जो पुणे में मैसर्स मगरपट्टा सिटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) मौजूदा एसईजेड के उद्यमी को मैसर्स स्मारटेक कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर स्मारटेक21 प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स स्मारटेक कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में मैसर्स क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई बेंच द्वारा यथाअनुमोदित मैसर्स फेयरडील मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैसर्स वेस्टर्न आउटडोर इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन के फलस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन के लिए मैसर्स वेस्टर्न आउटडोर इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड 1 जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ix) आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई बेंच द्वारा यथाअनुमोदित मैसर्स फेयरडील मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैसर्स वेस्टर्न आउटडोर इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन के फलस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसी में परिवर्तन के लिए मैसर्स वेस्टर्न आउटडोर इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड 2 जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।



04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

**(x) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए मैसर्स बार्कलेज टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एमआईडीसी, नालेज पार्क एसईजेड पुणे में मैसर्स एयान खराडी स्ट्रक्चर की यूनिट है, का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

**(xi) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए मैसर्स बार्कलेज टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में मैसर्स क्वाइन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

**(xii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स सीईबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मनपक्कम, चेन्नई में डीएलएफ के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

**(xiii) अपने कांडला एसईजेड के प्रचालन के व्यवसाय अंतरण करार के अनुमोदन के लिए मैसर्स बीएसएफ इंडिया लिमिटेड जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

#### **मद संख्या 82.6 औपचारिक अनुमोदन / सह विकासक का निरसन (एक प्रस्ताव)**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने केएएसईजेड में मैसर्स ओपीजी पावर एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जे को निरस्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

#### **मद संख्या 82.7 : विविध मामले (9 प्रस्ताव)**

(i) मंजरी बुद्रुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में 4.1925 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) 90,114 वर्गफीट के अतिरिक्त क्षेत्रफल में विशेष रूप से बेयर शेल बिल्डिंग के वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन के अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निर्मित स्थान को पट्टा पर देने के लिए एसईजेड के विकास के लिए मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड, बंगलौर में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम नेटवर्क इनफार्मेशन ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था), बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए 419 वर्गमीटर (4510 वर्गफीट) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए पट्टा सह विकास करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 419 वर्गमीटर (4510 वर्गफीट) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स वोलुपिया डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) 24 मार्च 2018 से 23 मार्च 2023 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एसईजेड रिसाइकलिंग जो महिंद्रा आईटी, चेन्नई में रिसाइकलिंग यूनिट है, का प्रस्ताव

7 अप्रैल 2006 को जब एसईजेड नियमावली अधिसूचित की गई थी, को यूनिट को एलओपी प्रदान करने के मुद्दे पर विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया था कि 15 मार्च 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 57वीं बैठक के दौरान 24 मार्च 2013 के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के समय मामले को उठाया गया था। सूचित किया गया कि 23 मार्च 2013 के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी को वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अनुमोदन बोर्ड की 57वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार विकास आयुक्त, एमईपीजेड से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मामले को आस्थगित कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2014 को आयोजित 61वीं बैठक में मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनः लाया गया जब बोर्ड को सूचित किया गया कि यूनिट को 7 अप्रैल 2006 को एलओए जारी किया गया था। विकास आयुक्त द्वारा एलओए इसलिए जारी किया गया क्योंकि उस अवधि के दौरान एसईजेड अधिनियम लागू नहीं था तथा यूनिट अनुमोदन समिति स्थापित नहीं थी। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 3 अप्रैल 2016 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 जून 2016 को आयोजित अपनी 71वीं बैठक में 23 मार्च 2018 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की थी।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स एसईजेड रिसाइकलिंग के एलओपी की वैधता अवधि 23 मार्च 2023 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की थी।

**(v) 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक एलओए के नवीकरण के लिए मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2022 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

**(vi) क्षेत्रफल को 3.739 एकड़ से बढ़ाकर 3.741 एकड़ करने तथा सह विकासक करार दिनांक 3 फरवरी, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुडगांव, हरियाणा में मैसर्स एसएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, का प्रस्ताव**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि अतिरिक्त क्षेत्रफल से संबंधित राजस्व रिकार्डों का सत्यापन कर लिया गया है। संयुक्त निदेशक (उद्योग), हरियाणा सरकार ने भी पुष्टि की है कि राजस्व रिकार्डों से अतिरिक्त क्षेत्रफल का सत्यापन कर लिया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया बशर्ते कि नवीकरणीय पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए।

**(vii) एसईजेड विकासक के साथ निष्पादित सह विकासक करार तथा पट्टा विलेख में संशोधन को मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स किंग्स केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुडगांव, हरियाणा में मैसर्स एसएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, का प्रस्ताव**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि अतिरिक्त क्षेत्रफल से संबंधित राजस्व रिकार्डों का सत्यापन कर लिया गया है। संयुक्त निदेशक (उद्योग), हरियाणा सरकार ने भी पुष्टि की है कि राजस्व रिकार्डों से अतिरिक्त क्षेत्रफल का सत्यापन कर लिया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया बशर्ते कि नवीकरणीय पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए।

(viii) एलओए की शर्त संख्या 3 को हटाने तथा डीटीए से दालों का प्रापण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए जारी किए गए एलओए में संशोधन के लिए मैसर्स क्वालिटे एगो प्रोसेसर्स जो सीसीसीआई एसईजेड, तमिलनाडु की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित कर दिया तथा निदेश दिया कि डीजीएफटी के परामर्श से एसईजेड में दालों के आयात एवं निर्यात के संपूर्ण मुद्दे की फिर से जांच की जाए।

(ix) 28 अप्रैल, 2017 के बाद 28 अप्रैल 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीएचएल लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सीएचएल लिमिटेड के अधिवक्ता श्री सुखबीर सिंह के साथ मैसर्स सीएचएल लिमिटेड के निदेशक श्री यस कुमार सहगल अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने सूचित किया कि मैसर्स सीएचएल लिमिटेड की वित्तीय पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है और अतिथि सत्कार उद्योग से जुड़ी है। इस समय यह एक 5 स्टार डीलक्स होटल अर्थात 'दि सूर्या न्यू दिल्ली' का प्रचालन कर रहा है तथा ताजिकिस्तान में 'शेरटन दुशांबे' का भी प्रचालन कर रहा है। मैसर्स सीएचएल लिमिटेड ने इस क्षेत्र में मांग में वृद्धि को देखते हुए प्लास्टिक कार्ड के निर्यात के लिए प्लास्टिक कार्ड के निर्माण की तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए मैसर्स सिसकॉम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार भी किया था। अनुमोदन बोर्ड ने वित्तीय स्थिति के संबंध में विधिवत रूप से प्रमाणित दस्तावेज तथा मैसर्स सिसकॉम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए करार की प्रति प्रस्तुत करने के लिए सीएचएल लिमिटेड को 7 दिन का समय दिया ताकि इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

#### पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 82.8 : शेर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (3 प्रस्ताव)

(i) एनसीएलटी द्वारा पारित किए गए डिमर्जर के आदेश के कारण मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 1 के स्थान पर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 1 को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने / शेर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) जो पल्लावरम - थोरईपक्कम 200 फुटा रोड, थोरईपक्कम, चेन्नई में मैसर्स आईजी3 इन्फ्रा लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) एनसीएलटी द्वारा पारित किए गए डिमर्जर के आदेश के कारण मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 2 के स्थान पर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 2 को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने / शेरर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) जो पल्लावरम - थोरईपक्कम 200 फुटा रोड, थोरईपक्कम, चेन्नई में मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को शेररों के अंतरण के माध्यम से मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व के अंतरण के लिए मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड जो फिनिक्स इनफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है तथा सर्वे नंबर 30 (पी), 34 (पी), 35 (पी) एवं 38 (पी), गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड में 35 यूनिटें काम कर रही हैं तथा उन्होंने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

04 अप्रैल, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

#### मद संख्या 82.9 विविध मामले (2 प्रस्ताव)

##### (i) मैसर्स सार्थक वेयर हाउसिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी (एसडब्ल्यूटीसी), गांधीधाम के एलओए को बहाल करना

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को इस बात की फिर से जांच करने का निदेश दिया कि क्या यूनिट द्वारा प्रस्तावित गतिविधि रिसाइकलिंग है या नहीं।

##### (ii) दाहेज एसईजेड जेड में मैसर्स श्रीकुंज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सह विकासक का दर्जा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया कि मैसर्स श्रीकुंज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ संशोधित सह विकासक करार में मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्स कांबे एसईजेड होटल प्राइवेट लिमिटेड) की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को नए सह विकासक को अंतरित करने के बारे में उल्लेख है जिससे कांबे के साथ मूल सह विकासक करार फालतू हो जाएगा। मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्स कांबे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ करार को अनुमोदन बोर्ड द्वारा निरस्त किए जाने की आवश्यकता होगी। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सिडबी द्वारा जारी किया गया बिक्री प्रमाण पत्र दिनांक 7 जनवरी 2017 प्रतिभूति अधिकार (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6, 7, 8 और 9 के तहत जारी किया गया सांविधिक दस्तावेज है। अतः इस प्रमाण पत्र में किसी संशोधन के लिए या तो संशोधित बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता होगी या फिर मूल प्रमाण पत्र का शुद्धिपत्र जारी करना होगा क्योंकि सिडबी से स्पष्टीकरण दिनांक 23 मार्च 2018 का सांविधिक प्रभाव नहीं हो सकता है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से सिडबी द्वारा जारी किए गए बिक्री प्रमाण पत्र के औपचारिक संशोधन तथा मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्स कांबे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ सह विकासक करार के निरसन की प्रस्तुति के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

\*\*\*\*\*